

## डॉ. बंसीधर स्कूल , कोटा

### आर.टी.ई – प्रवेश का टाइम फ्रेम

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश कार्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाइम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :-

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	13 अप्रैल तक	राज्य सरकार व संबंधित निजी विद्यालय
2	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	30 अप्रैल तक	संबंधित अभिभावक
3	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण	2 मई	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	8 मई तक	सम्बन्धित अभिभावक
5	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	9 मई से	संबंधित निजी विद्यालय
6	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय

नोट: क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि "विज्ञापन जारी करना" के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश संबंधी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।

1. संबंधित विद्यालय/अधिकारी को उपरोक्त टाइम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।

2. अपरिहार्य कारणों से राज्य सरकार उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन कर सकेगी।